कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खरगोन

दूरभाष : (07282) 233982, फेक्स : (07282) 235388, ई–मेल : dfotkgone@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 5601 खरगोन , दिनांक 25-7-2022

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी,
तितरान्या

विषयः– 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला, गुलाब सुमला फाल्या, कोटबेड़ा में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बावद्। प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/VELEC/154557/2022 ।

संदर्भः– 1. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय का पत्र क्रमांक / निरंक / कापायं / संचा. / कार्य / 2022–23 दिनांक निरंक। इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 27.05.2022।

2. इस कार्यालय में पोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 27.05.2022।

––::––

संदर्भित पत्र क्रमांक–1 द्वारा 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला, गुलाब सुमला फाल्या, कोटबेड़ा विद्युत लाईन के विस्तार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/VELEC/154557/2022 की हार्ड कापी इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न आपकी ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक संस्थान के संबंधित किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा यदि आपसे सम्पर्क स्थापित किया जाता है तो आप प्रस्तावित योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण करे तथा कक्षवार प्रभावित वनभूमि वन मानचित्र पैमाना 1:50000 पर अंकित कर मय प्रस्तावित वनभूमि पर खड़ी वनोपज की प्रजातिवार, कक्षवार गणना कर गणना एवं मूल्यांकन पत्रक तैयार कर निम्नानुसार प्रस्तुत करें:–

1. प्रस्तावित योजना के स्थल के दो फोटोग्राफ।
2. योजना से प्रभावित वनभूमि की कक्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना कर प्रस्तुत करें।
3. प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार प्रभावित वनभूमि का घनत्व (Density), वनभूमि का प्रकार (Eco-Class), एवं कार्यवृत्त (Working Circle), की जानकारी प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण। (विगत वन्य प्राणी गणना अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या सहित प्रस्तुत करें।
5. एतिहासिक / पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण –पत्र।
6. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।
7. प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप।
8. न्युनतम उपयोगिता प्रमाण–पत्र।
9. पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्ताव भाग–2 की प्रति में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति करना।

अतः उक्त प्रमाण पत्रों सहित प्रतिवेदन संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–यथोपरी ।

(प्रशांत कुमार सिंह)
(भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी,
O/C सामान्य वनमण्डल, खरगोन

पृ.क्र. / मा.चि. / 2022 / 5602 खरगोन, दिनांक 25-7-2022

प्रतिलिपिः–1. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा), म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., खरगोन द्वितीय की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि योजना से प्रभावित वनभूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराये जाने हेतु आपकी संस्थान के किसी अधिकारी / कर्मचारी को वन परिक्षेत्राधिकारी, तितरान्या से संपर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तावित योजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

2. उप वनमण्डलाधिकारी, भीकनगांव की ओर अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में आप भी अपना सुस्पष्ट अभिमत अंकित करना सुनिश्चित करें।

25.7.22

वनमण्डलाधिकारी,
O/C सामान्य वनमण्डल,खरगोन

25/7

Scanned with CamScanner